न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –17/2022
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/22

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हुसैन पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी कुमारी, तहसील व जिला नागौर, राज0		तहसीलदार, नागौर, जिला नागौर, राजस्थान

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री नटवरलाल गौड़।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय दिनांक 06/09/2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर–59/2021 सरकार बनाम मो0 हुसैन अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.01.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का, कुमारी तहसील नागौर ने बिना तारीख की एक बनावटी व मिथ्या रिपोर्ट तहसीलदार जी नागौर के समक्ष अपीलांट के विरूद्व में इस आशय की पेश की मौजा कुमारी के खसरा नं. 607 रकबा 6.00 बीघा गे.मु. मगरा भूमि पर बाड़ व पट्टिया रोप कर अतिक्रमण कर लिया। पटवारी हल्का द्वारा बिना नाप चोप किये, बिना मौके पर आये एकतरफा में मिथ्या रिपोर्ट पेश करने पर उपरोक्त प्रकरण दिनांक 08.12.2021 को दर्ज किया जाकर अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर अप्रार्थी को तलब करने का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट दिनांक 20.12.2021 को उपस्थित हुआ व इस बाबत जवाब एवं साक्ष्य पेश करना चाहा तो उसके खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा लिये व कहा कि जवाब व साक्ष्य सबूत हेतु आगे पेशी की सूचना प्रेषित कर दी जावेगी, जिससे अपीलांट इसी विश्वास में रहा कि जवाब पेश करने हेतु सुचना आयेगी लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं दी न जवाब साक्ष्य लिया गया न ही मौके पर आकर उक्त खसरा नं. 607 गे. मु. मगरा व इसके चिपता अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा नं. 902/607 का नाप चोप किया न अन्य कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई व उसी आदेशिका पर अपीलांट पृथक से की पीठ पीछे दिनांक 20.12.2021 को ही निर्णय करने व निर्णय लिखाये जाने का अंकन कर दिया व अपीलांट को जवाब आदि से वंचित रखते हुऐ बिना किसी अर्जेन्सी के अत्यंत ही जल्दबाजी में उसी दिन अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली व जुर्माना वसूली का निर्णय पारित कर दिया। जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी व दिनांक 3.1.2022 को पटवारी हल्का ने अपीलांट को बताया कि उसके विरूद्व बेदखली का आदेश पारित हो गया है व अपीलांट को बिना किसी प्रकार का नापचोप किये कथित निर्णय की आड़ में बेदखल करने का कहा जिस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय में जाकर पता किया व नकलो का आवेदन पेश कर उसी दिन नकले प्राप्त यह अपील प्रस्तुत की है।

लायक अदालत मातहत नायब तहसीलदार नागौर का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति व नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत पारित जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना सुनवाई किये, बिना वास्तविक जांच व नाप चोप किये, बिना अतिकमी साबित हुऐ ही पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होगा कि अपीलांट को कथित नोटिस देकर पेशी दिनांक 20.12.2021 को नियत की व अपीलांट ने नोटिस की पालना में उपस्थित होकर जवाब आदि पेश करना चाहा मगर उसी दिन बिना जवाब साक्ष्य लिये आदेशिका में केवल इतना लिख दिया गया कि "पत्रावली आज दिनांक 20.12.2021 को पेश हुई, अप्रार्थी उपस्थिति, निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।" यह आदेशिका अपने आप में गलत, विधि विरूद्व व निरंकुश प्रक्रिया के तहत पारित की होना स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही है क्योकि किसी भी पक्षकार के विरूद्व यदि अतिक्रमण की कोई रिपोर्ट पेश होती है तो उस पक्षकार को तलब कर पर्याप्त सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना विधिनुसार आवश्यक है, लेकिन प्रकरण हाजा में अपीलांट को किसी प्रकार का जवाब, साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर ही नहीं दिया न ही जवाबदेही बंद करने की कोई आदेशिका दर्ज की न ही जवाब, साक्ष्य सबूत बाबत कोई तथ्य ही दर्ज किये है सीधा निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण हाजा में पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट तहसीलदार को पेश की है उस पर न तो किसी प्रकार की तारीख का अंकन है न कोई मौतबिरान के हस्ताक्षर है स्पष्ट है कि पटवारी न तो कभी मौके पर आया नाप चोप किया केवल प्रिन्टेड फार्म में मनमर्जी से खाली जगह भर कर अपीलांट से अदावत रखने वाले स्थानीय राजनेतिक प्रभाव वालो लोगो के बहकावे में आकर पेश कर उक्त प्रकरण दर्ज करवाया व तहसीलदार ने भी उसी अनुसार अपीलांट की सुनवाई किये बिना अत्यंत ही जल्दबाजी में निर्णय जैर अपील पारित कर दिया है तथा पत्रावली का अवलोकन करने मात्र से स्पष्ट हो रहा है कि पटवारी व तहसीलदार को येन केन प्रकारेण अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करने का उद्वेश्य रहा है इसी कारण पत्रावली में न तो जवाब लिया न साक्ष्य ली, न पटवारी के बयान लिये न अपीलांटको जिरह का अवसर दिया व एकतरफा झुठी रिपोर्ट लेकर उसके आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है अपीलांट के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात हुआ है अपीलांट न्याय प्राप्ति से वंचित रहा है जिससे निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट के कब्जासुद खातेदारी का खेत खसरा नं. 902/607 मौजा कुमारी में स्थित है उसके चिपता ही उक्त खसरा नं. 607 गे.मु. मगरा स्थित है आस पास खातेदारी के खेत आये हुऐ है अपीलांट का कदीमी समय से सींवो, माठो, बाड़ सहित मौके पर पुराना कब्जा काश्त रहता चला आया है भूमि काबिल काश्त है, प्रतिबंधित भूमियो की श्रेणी में नहीं आती है सरकारी परिपत्रो व विधिक प्रावधानो अनुसार नियमन योग्य है कई लोगो के मगरा भूमि का नियमन हो रखा है, अपीलांट की कदीमी कब्जासुद भूमि एक ही चक के रूप में बाड़ सहित काबिल काश्त रहती चली आई है अपीलांट ने लाखो रूपये खर्च करके भूमि का सुधार किया व उपजाऊ बनाया है किसी को कोई शिकायत कभी नहीं रही है इसके बावजूद पटवारी हल्का ने कुछ समूह विशेष के लोगो के अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर अपीलांट द्वारा हाल ही में संवत 2078 का कब्जा/अतिक्रमण सरासर गलत बताकर रिपोर्ट पेश की गयी है व पुराने कब्जे के संबंध में कोई जांच तहसीलदार ने नहीं की न स्वयं ने मौके पर आकर अपने स्तर पर कोई जांच की न विधिक प्रक्रिया अपनाई, मामला नाप चोप का था और बिना नाप चोप किये ही अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करने में विधिक त्रुटि किये जाने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम कुमारी के खसरा नम्बर 607 रकबा 6.00 बीघा किस्म गै.मु. मगरा की भूमि पर बाड़ व पट्टिया रोपकर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने की भू अभिलेख निरीक्षक कुमारी द्वारा सत्यापित रिपोर्ट पटवारी कुमारी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ परन्तु उसके द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अपीलान्ट ने अपील में स्वंय द्वारा अपील के पैरा संख्या–4 में विवादित भूमि पर उसका पुराना कब्जा काश्त होना तथा उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं आना व सरकारी परिपत्रों व विधिक प्रावधानों के अनुसार नियमन योग्य होना बताया। इससे स्पष्ट है अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है एवं

कलक्टर, नागौर

अपीलान्ट विवादित भूमि का नियमन करवाना चाहता है। उक्त संबंध में निगरानी/एलआर/2885/2006/नागौर, मूलनाथ बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 में अंकित किया है कि ***"जहां तक पुराने कब्जे के आधार पर नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पृथक से कार्यवाही ही संभव है।"*** चूंकि अपीलान्ट विवादित भूमि पर अतिकमी है एवं उक्त निर्णय अनुसार ऐसे पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है, का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम कुमारी के खसरा नम्बर 607 रकबा 6.00 बीघा किस्म गै.मु. मगरा की भूमि पर बाड़ व पट्टिया रोपकर अपीलान्ट द्वारा अतिकमण करने की भू अभिलेख निरीक्षक कुमारी द्वारा सत्यापित रिपोर्ट पटवारी कुमारी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत मु0नं0–59/2021 दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया। तारीख पेशी 20.12.2021 को अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ परन्तु उसके द्वारा उक्त नोटिस का कोई जबाब एवं साक्ष्य, सबूत आदि अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील के पैरा संख्या–4 में किये गये कथनो के अनुसार अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर उसका पुराना कब्जा काश्त होना तथा उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं आना व सरकारी परिपत्रों व विधिक प्रावधानों के अनुसार नियमन योग्य होना बताया। इससे स्पष्ट है अपीलान्ट द्वारा उक्त तथाकथित विवादित भूमि पर अनाधिकृत अतिकमण किया गया है एवं अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि का नियमन करवाना चाहता है। उक्त संबंध में निगरानी/एलआर/2885/2006/नागौर, मूलनाथ बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 में अंकित किया है कि ***"जहां तक पुराने कब्जे के आधार पर नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पृथक से कार्यवाही ही संभव है।"*** चूंकि अपीलान्ट विवादित भूमि पर अतिकमी है एवं उक्त निर्णय अनुसार ऐसे पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर